फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

रामकिशोर बनाम उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) दक्षिण व अन्य

प्रकरण संख्या 51 /2023 (मुंतकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
10.02.2023	दरख्वास्तगुजार ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) दक्षिण, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 156/2011 नया 13/2019 ब–उनवानी मैसर्स हरिहर कॉलोनाईजर बनाम रामकिशोर व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरणों को दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने का अनुरोध किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) दक्षिण, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब हो। विपक्षीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 28.02.2023 को पेश हो। जिला कलक्टर जयपुर	
28-2-23	पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी उपस्थित है। वकील प्रार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। चूंकि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त कटारा आर॰ए॰एस॰ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर	